न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 08 / 2018

वादी	**प्रतिवादीगण**
रतना पुत्र सुरजनजी जाति विश्नोई निवासी करवाड़ा तहसील रानीवाडा जिला जालोर	1. हरचंद पुत्र सुरजनजी जाति विश्नोई निवासी करवाडा 2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. प्रतिवादी अधिवक्ता श्री अमृत कटारिया।

–: निर्णय :– दिनांक 15.09.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा करवाडा तहसील रानीवाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुम्त खातेदारी की आराजी नवीन खसरा नम्बर 535 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै. मु. ढाणी, खसरा नम्बर 536 रकबा 0.01 हैक्टर गै. मु. बेरा, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै. मु. सड़ा, खसरा नम्बर 538 रकबा 3.34 हैक्टर किस्म जा.सो.चा.सो., खसरा नम्बर 639 रकबा 1.86 हैक्टर किस्म बा.सो. जुमले रकबा 5.31 हैक्टर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में रतना हरचंद पिसरान सुरजन कौम विश्नोई साकिन देह खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की बहिस्सा बराबर की खातेदारी की आई हुई है। उक्त आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच विधिवत रेकर्डेड बंटवाड़ा नहीं हुआ है। उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी मौके पर अलग–अलग दो चक में आई हुई है। खसरा नम्बर 639 रकबा 1.86 हैक्टर का एक अलग चक है तथा अन्य खसरा नम्बरान 535 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 536 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 538 रकबा 3.34 हैक्टर का मौके पर अलग चक है। वादी उक्त नजरी नक्शा अनुसार अपनी ढाणी वाले ए मार्क की आराजी के साथ–साथ उपजाउ आराजी डी मार्क को प्राप्त करना चाहता है तथा अपना इस वाई चक में 1/2 हिस्सा वादी व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को दिलाना चाहता है। इसी प्रकार मार्क एक्स आराजी में मार्क ए तथा सी हिस्सा उपजाउ किस्म का है तथा बी व डी हिस्सा अनुपजाउ किस्म का है। उक्त हिस्से में वादी का अच्छी या बुरी किस्म के अनुसार समान रूप से डी व ए हिस्सा को मिलाते हुये दिया जावे या सी तथा बी हिस्सा को मिलाते हुये बंट में दिया जावे तो वादी उक्त दोनों बंट में से कोई भी बंट समान 1/2 हिस्सा में लेने हेतु तैयार है। इस प्रकार वादी अपनी सम्पूर्ण आराजी में कुल दो अलग–अलग चक में अच्छी व बुरी किस्म की समानता के आधार पर बंटवाडा [illegible] चाहता है, जिस हेतु वाद पत्र पेश है। आज से एक माह पुर्व वादी ने [illegible] आराजी का आपसी सहमति से अच्छी व बुरी किस्म भूमि के अनुपात में [illegible] कराने का [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि मै इस प्रकार बंटवाड़ा नहीं कर[illegible] में ता अच्छी जमी[illegible] कब्जा कर लुंगा तथा तुमने ज्यादी किया तो तुझे लाठी के बल पर उक्त तुम्हारे कब्जे काश्त की आराजी से बैदखल कर दुंगा। वादी, प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त गैर कानूनी कृत्यों को रूकवाने तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.01.12 13:34:56 IST
Reason: SelfAttested

भुमि का अच्छी व बुरी किस्म के अनुपात में बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी होने से वादी की ओर से यह दावा बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम में विवादीत आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच 35 वर्ष पूर्व हुये मौखिक बंटवाडे अनुसार मौके पर कब्जे काश्त अनुसार जवाब दावा के साथ पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट ब अनुसार किया जाकर वादी को 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा अलग–अलग बंट में दिया जावे तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार रानीवाडा को तहरीर जारी की जावें। तथा बंटवाडा किये जाने के बाद वादी प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में आई आराजी के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में न तो स्वयं कोई दखल करे तथा न हि किसी अन्य से कोई दखल करावें।

दिनांक 28.08.2019 को न्यायालय द्वारा उभयपक्षकर अधिवक्ता द्वारा खातेदारो के मौका स्थिति अनुसार ग्राम करवाडा खसरा नम्बर 535 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 536 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 538 रकबा 3.34 हैक्टर ,खसरा नम्बर 639 रकबा 1.86 हैक्टर जुमले रकबा 5.31 हैक्टर पर बंटवाडा करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा से मौका स्थिति रिपोर्ट अनुसार प्रस्ताव हेतु तहसीलदार से मंगवाया गया । जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा मौका स्थिति अनुसार बंटवारा प्रस्तावित पत्रांक/राज0/5709 दिनांक 02.01.2020 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत मौका स्थिति अनुसार विभाजन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं सरकारी पेरोकार एवं स्वयं वादी रतना व प्रतिवादी हरचंद द्वारा देखा गया। दोनों अधिवक्ताओं को सुना गया जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं की। जिस पर दोनों पक्षकारों ने सहमति जताई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश काउण्टर क्लेम खारीज किया जाता है।

अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	रतना वल्द सूरजन कौम विश्नोई सा.देह खातेदार	535	0.05	0.05	गै.मू. ढाणी	पीला	–
		536	0.01	0.01	गै.मू. बेरा	पीला	–
		537	0.05	0.05	गै.मू. सडा	पीला	–
		538	3.34	1[illegible]	जावं सोयम	पीला	5.28
					चाव सोयम	पीला	11.68

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.01.12 13:34:56 IST
Reason: SelfAttested

		639	1.86	0.90	बारानी सोयम	पीला	1.86
2.	हरचन्द वल्द सूरजन कौम विश्नोई सा.देह खातेदार	538	3.34	1.73	जाव सोयम	लाल	5.64
					चाव सोयम	लाल	12.64
		639	1.86	0.90	बारानी सोयम	लाल	1.86
3.	रतना हरचंद पि. सूरजन कौम विश्नोई	639	1.86	0.06	बारानी सोयम	काला	0.12

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.01.12 13:34:56 IST
Reason: SelfAttested